

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6/ए0 /वि01 - 1059/2017 - 1447 ,पटना - 15 ,दिनांक :- 14/6/17

सेवा में,
महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय -- प्राकृतिक आपदा यथा गर्मी के मौसम एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में राज्य के आभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु जल टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति हेतु 352.00 लाख रुपये (तीन करोड़ वावन लाख रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की स्वीकृति।

आदेश - प्राकृतिक आपदा यथा गर्मी के मौसम एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में राज्य के आभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु जल टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति हेतु 352.00 लाख रुपये (तीन करोड़ वावन लाख रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। योजना का प्रमण्डलवार विवरण की तालिका निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वित्तीय लक्ष्य (लाख रुपये में)	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पटना	पटना (यॉत्रिक)	10.00	दस लाख रुपये मात्र।
2	नालन्दा	बिहारशरीफ	15.00	पन्द्रह लाख रुपये मात्र।
3	नालन्दा	हिलसा	5.00	पाँच लाख रुपये मात्र।
4	भोजपुर	आरा	2.00	दो लाख रुपये मात्र।
5	अरवल	अरवल	5.00	पाँच लाख रुपये मात्र।
6	रोहतास	सासाराम	20.00	बीस लाख रुपये मात्र।
7	कैमूर	भभुआ	45.00	पैंतालीस लाख रुपये मात्र।
8	औरंगाबाद	औरंगाबाद	30.00	तीस लाख रुपये मात्र।
9	गया	गया	30.00	तीस लाख रुपये मात्र।
10	नवादा	नवादा	20.00	बीस लाख रुपये मात्र।
11	जहानाबाद	जहानाबाद	10.00	दस लाख रुपये मात्र।
12	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	25.00	पच्चीस लाख रुपये मात्र।
13	वैशाली	हाजीपुर	2.00	दो लाख रुपये मात्र।
14	पश्चिमी चम्पारण	बेतिया	15.00	पन्द्रह लाख रुपये मात्र।
15	दरभंगा	दरभंगा	7.00	सात लाख रुपये मात्र।
16	समस्तीपुर	समस्तीपुर	10.00	दस लाख रुपये मात्र।
17	भागलपुर	भागलपुर पूर्व	20.00	बीस लाख रुपये मात्र।
18	बाँका	बाँका	12.00	बारह लाख रुपये मात्र।
19	मुँगेर	मुँगेर	14.00	चौदह लाख रुपये मात्र।
20	शेखपुरा	शेखपुरा	20.00	बीस लाख रुपये मात्र।
21	जमुई	जमुई	15.00	पन्द्रह लाख रुपये मात्र।
22	लखीसराय	लखीसराय	20.00	बीस लाख रुपये मात्र।
		कुल	352.00	तीन करोड़ वावन लाख रुपये मात्र।

2. प्राकृतिक आपदा यथा गर्मी के गौरम एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में राज्य के आभावग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु जल टैंकर के माध्यम से ढुलाई किया जाना है। इस योजना को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है।
3. इस योजना पर होने वाला योजना व्यय बजट का मुख्य शीर्ष -- 2245--प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत -- उपमुख्य शीर्ष -- 01--सूखा -- लघु शीर्ष -- 102--पीने के पानी की पूर्ति -- मांग संख्या -- 36 -- उपशीर्ष -- 0002--अकों एवं टैंकरों से पेयजल की ढुलाई (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग हेतु) -- विपत्र कोड -- 36--2245011020002 -- विषय शीर्ष -- 0002.13.08 हथालन व्यय मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।
4. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल होंगे। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. इस राशि में से स्थापना पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।
6. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख --सह-- विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग होंगे।
7. योजना एवं गैर योजना मदों में स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन से संबंधित वित्त विभाग के सेकल्प संख्या -- एम4 53/2007 2199 / वि० दिनांक -- 24-03-17 के आलोक में इस योजना की स्वीकृति दी जाती है।
8. वर्ष 2017-18 के वार्षिक योजना उद्घ्य एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।
9. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

MS.S. 14.6.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख --सह-- विशेष सचिव

ज्ञापांक -- 6/ए० /वि०1 -- 1059/2017 -- 1447, पटना दिनांक -- 14/6/17

प्रतिलिपि -- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / योजना एवं विकास विभाग, बिहार / कल्याण विभाग, बिहार / जिला पदाधिकारी, पटना / नालन्दा / भोजपुर / अरवल / रोहतास / कैमूर / औरंगाबाद / गया / नवादा / जहानाबाद / मुजफ्फरपुर / वैशाली / पश्चिमी चम्पारण / दरभंगा / समस्तीपुर / भागलपुर पूर्व / बाँक / मुँगेर / शेखपुरा / जमुई / लखीसराय / कोषागार पदाधिकारी, पटना / बिहारशरीफ / आरा / अरवल / सासाराम / भभुआ / औरंगाबाद / गया / नवादा / जहानाबाद / मुजफ्फरपुर / वैशाली / बेतिया / दरभंगा / समस्तीपुर / भागलपुर पूर्व / बाँका / मुँगेर / शेखपुरा / जमुई / लखीसराय / उपकोषागार पदाधिकारी, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अभियन्ता प्रमुख --सह-- विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / मुख्य अभियन्ता (याँत्रिक) / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो०) / कार्यपालक अभियन्ता (मो०) / उ निदेशक (मू०) / कार्यपालक अभियन्ता (मो०/मू०) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रशाखा -- 4 / 6, कम्प्यूटर प्रोग्रामर / आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हे प्रेषित।

3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना / मुजफ्फरपुर / भागलपुर अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, पटना (याँत्रिक) / पटना / आरा / सासाराम / गया / मुजफ्फरपुर / मोतिहारी / दरभंगा / भागलपुर / मुँगेर / बेगुसराय / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना (याँत्रिक) / बिहारशरीफ / हिलसा / आरा / अरवल / सासाराम / भभुआ / औरंगाबाद / गया / नवादा / जहानाबाद / मुजफ्फरपुर / हाजीपुर / बेतिया / दरभंगा / समस्तीपुर / भागलपुर पूर्व / बाँका / मुँगेर / शेखपुरा / जमुई / लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

MS.S. 14.6.2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख --सह-- विशेष सचिव